

सुनी गई | वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17/2/20
को पेश हो।

17-2-19 वकील उभयपक्ष उप० | समयाभाव के कारण निर्णय मही लिखा जा सका | वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 23-2-19 को पेश हो।

23-2-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् कीटारीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 7-2-20 को पेश हो।
रीडर

7-2-20 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् कीटारीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 24-1-20 को पेश हो।
रीडर

24-1-20 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् कीटारीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 24-2-20 को पेश हो।
रीडर

24-2-20 वकील उभयपक्ष उप० | न. न. प्रा० पत्र पर पुनः बडस सुनी गई | वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-3-20 को पेश हो।

5-3-20 वकील उभयपक्ष उप० | वादग्रस्त भूमि ख० नं० 739/100 प० ग्राम चूली की गाँवसला दफा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति अनुसार रखने हेतु उभयपक्षकारान को प्रस्थाई निवेदना से पारबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली पेश हो।

1. नानासिंह पुत्र कंचन, बैरवा निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी
2. विमला पुत्री कंचन पत्नी मंगल, बैरवा निवासी कुडगाँव तह0 करौली
3. सुशीला पुत्री कंचन पत्नी हरि, बैरवा निवासी क्यारदा तह0 खंडार
4. गंगा पुत्री कंचन पत्नी रामपाल, बैरवा निवासी मानपुर तह0 सपोटरा हॉल निवासी सेक्टर 48, संजय कॉलोनी फरीदाबाद
5. शांति पुत्री कंचन पत्नी जयराम, बैरवा निवासी मकनपुर तह0 सपोटरा हॉल निवासी सेक्टर 48, संजय कॉलोनी फरीदाबाद
6. संजली पत्नी कंचन, बैरवा निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पुत्र लक्ष्मण कोली निवासी ग्राम लोधा तह0 नादौती जिला करौली
2. सबरजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि हॉल खसरा नम्बर 739 रकबा 1.00 है0 ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी सायल संख्या 1 ता 5 के पिता व सायल संख्या 6 के पति स्व0 कंचन पुत्र पॉच्या बैरवा निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि रही है। स्व0 कंचन के साथ सायलान गंगापुर सिटी में निवास करते हैं तथा कंचन के साथ एवं कंचन की मृत्यु के बाद सायलान ही उक्त आरजी पर काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे हैं। हॉल ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 भूमि का पुराना खसरा नम्बर 481 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा था जो कि साबिक रिकार्ड में कंचन के पिता पॉच्या पुत्र हन्डू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पॉच्या की मृत्यु के उपरान्त भूमि कंचन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 ग्राम चूली पैतृक भूमि है जिसमें कंचन व सायलान का प्रत्येक का हिस्सा 1/7, 1/7 रहा है। खातेदार कंचन का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी मृत्यु के उपरान्त सायलान भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 पर वर्तमान में काबिज है। सायलान के पिता कंचन पुत्र पॉच्या नशे के आदि थे अपने नशे की पूर्ति के लिए ग्राम चूली निवासी अर्जुन पुत्र मोतीलाल गुर्जर, कंचन को रूपया उधार देता रहता था वल्टे सीधे खाली स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवाता रहता था। दिनांक 26.6.2000


उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०ना०)

को अर्जुन गुर्जर ने कंचन की जमीन को गिरवी रखकर रूपये देने का बहाना बनाकर उपपंजीयक कार्यालय गंगापुर सिटी ले गया तथा वहाँ दिनांक 26.6.2000 ग्राम चूली स्थित सायलान की पैतृक भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 जो राजस्व रिकार्ड में कंचन के नाम खातेदारी दर्ज थी का पंजीकृत विक्रय पत्र गैरसायल संख्या 1 किशन पुत्र लक्ष्मण कोली ग्राम लोधा तह0 नादौती के नाम करवा दिया तथा रामखिलाडी व पप्पू गुर्जर निवासी चूली जो कि अर्जुन के नजदीक मिलने वाले थे के गवाह के नाते उक्त विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। पंजीकृत विक्रय पत्र में एक लाख रूपय विक्रय मूल्य देना व भूमि पर कब्जा गैरसायल संख्या 1 का करा देना लिखवा दिया। जबकि कोई एक लाख रूपये की राशि कंचन को नहीं दी गई तथा कब्जा भी गैरसायल संख्या 1 किशन को नहीं दिया गया। उक्त भूमि पर कब्जा लगातार कंचन व सायलान का बना रहा है तथा वर्तमान में भी सायलान ही भूमि पर काबिज है बिना प्रतिफल लिए विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 शून्य व प्रभावहीन है। कंचन इमेशा नशे में रहता था इस कारण बिना सोचे समझे किया गया विक्रय पत्र शून्य एवं प्रभावहीन है। विक्रय पत्र की कंचन को कोई जानकारी नहीं थी तथा कंचन ने अपने जीवनलाल में कभी भी उक्त आराजी के बेचान करने बाबत सायलान से नहीं कहा था। सायलान को भी उक्त विक्रय पत्र की कोई जानकारी नहीं थी। विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 साजिशी व फर्जी है तथा वह कंचन को धोखा देकर कराया गया है। उक्त भूमि पैतृक भूमि थी जिसमें कंचन का सिर्फ 1/7 हिस्सा था शेष 1/7-1/7 हिस्सा सायलान के थे ऐसी स्थिति में उक्त कंचन को सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.00 है0 को विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 विरुद्ध कानून व शून्य होने के कारण सायलान विरुद्ध बेअसर है व सायलान उक्त आराजी को अपने नाम घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है। विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को विधि शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने के अधिकारी है। सायलान संख्या 1 ता 5 के पिता व सायलान संख्या 6 के पति कंचन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व कहा था कि मैंने भूमि को अर्जुन गुर्जर के यहाँ चालिस हजार रूपये में रहन रखी है उक्त राशि अर्जुन को देकर भूमि रहन से छुड़वा लेना, कंचन की मृत्यु दिनांक 5.7.2014 को हो गई। इसके पश्चात सायलान रामफल व रामसिंह को लेकर अर्जुन के यहाँ ग्राम चूली में रूपये जमा करवाने गये तब अर्जुन ने सायलान के साथ गाली गलौच की और कहा कि मैंने तो तुम्हारे नशेलची पिता से किशन कोली निवासी लोधा के नाम विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा ली है और कंचन को कोई रूपया भी नहीं दिया



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मानसिंह वगैरा बनाम किशन वगैरा, टी.आई.

(3)

है तुम्हे जो करना है कर लों। इसके उपरान्त दिनांक 2.3.2015 को सायलान ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की तब उक्त फर्जी विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी सायलान को हुई। इसके उपरान्त दिनांक 28.6.2015 को सायलान बद्रीलाल तथा रतनलाल को लेकर गैरसायलान संख्या 1 के ग्राम लोधा, किशनकोली के पास गये तथा उसके विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 के समबन्ध में वार्ता की तब किशन ने कहा कि कंचन को मैंने एक रूपया नहीं दिया है, कंचन में मुझे मौके पर कब्जा भी नहीं संभलवाया है। तथा मौके पर मेरा भूमि पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है। सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 किशन एवं सायल मानसिंह, बद्री व रतन के मध्य दिनांक 28.6.2015 को जो वार्ता हुई उसकी एक वीडियो रिकार्डिंग व वार्ता की रिकार्डिंग तैयार की है। दिनांक 29.11.2015 को सायलान अपने खेत खसरा नम्बर 739 रकबा 1.00 है० की देखभाल कर रहे थे तो इतने में गैरसायल संख्या 1 के साथ चार पाँच आदमी आ गये और सायलान को खेत पर से चले जाने की धमकी दी तथा सायलान के कब्जे काशत उपयोग सम्बन्ध में दखल दिया। उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने की धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कनाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि ख०न० 739 रकबा 1.00 है० ग्राम चूली में सायलान के कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न न करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा गैरसायल संख्या 2 उक्त भूमि का रहन बाबत कोई दस्तावेज पेश होतो पंजीकृत ना करे व गैरसायल संख्या 3 ताफैसला दावा रिकार्ड में कोई परिवर्तन न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 1.00 है० ग्राम चूली में तथा भूमि कंचन की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। जबाबदार ने भूमि क्रय करते समय जमाबंदी देखकर क्रय किया था उस वक्त भूमि कंचन की खातेदारी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मुझे सायलान का कोई हिस्सा नहीं है ना ही उनका भूमि पर कब्जा है कब्जा क्रय दिनांक से जबाबदार का है सजरा जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा जो प्रमाणित भी नहीं है। दिनांक 26.6.2000 को भूमि हॉल खसरा नम्बर 739 रकबा 1.00 है० ग्राम चूली को कंचन ने दिनांक 26.6.2000 को

आवश्यकता होने पर उक्त भूमि को एक लाख रुपये नकद प्रतिफल की एवज में गदाहो के समक्ष, प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विक्रय जबाबदार को किया था। जिसका पंजीयन तहसीलदार के समक्ष किया गया था। वादग्रस्त भूमि में सायलान का कोई हिस्सा नहीं है। उक्त विक्रय पत्र विधि अनुसार पंजीयन किया गया है जिसे शून्य व प्रभावहीन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जबाबदार भूमि का रिकार्डेंड खातेदार है तथा क्रय दिनांक से ही जबाबदार उक्त भूमि पर काश्त कर फसल के उपयोग उपभोग से लाभान्वित होता चला आ रहा है। कंचन ने अपने जीवनकाल में उक्त विक्रय पत्र को कभी चलेन्ज नहीं किया किन्तु भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण सायलान की नीयत में बेईमानी है तथा वे इस कारण जबाबदार से नायाजय पैसा वसूलने के लिए पन्द्रह साल बाद गलत आधारों पर यह मुकदमा लेकर आये हैं। सायलान ने अपनी टी.आई. को रंग देने के उद्देश्य से व मुकदमा करने के उद्देश्य से झूठा वाक्या बनाकर यह मुकदमा किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। सायलान ने अपने पिता पर ही शर्मनाक आरोप लगाये हैं। जबाबदार ने दिनांक 20.11.15 को या अन्य किसी दिनांक को सायलान को कभी कोई जमकी नहीं दी। सायलान ने अपने टीआई को रंग देने के लिए झूठा वाक्या बनाकर मुकदमा दर्ज किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। भूमि पर सायलान का कब्जा नहीं है तो उनके द्वारा दिनांक 20.11.15 को देखभाल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान का केस प्राईमाफेसी साबित नहीं है बल्कि प्राईमाफेसी केस गैरसायलान का बखूबी साबित है। सुविधा का संचालन भी सायलान के पक्ष में नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में है। अपने जबाब के विशेष विवरण में गैरसायलान ने अंकित है कि जबाबदार वादग्रस्त भूमि का नुताबिक पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 के आधार पर रिकार्डेंड खातेदार है तथा क्रय दिनांक से भूमि पर काबिज है तथा सायलान का भूमि पर कब्जा भी नहीं है कब्जे के अभाव में टी.आई. सायलान संचालन योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जबाबदार ने भूमि क्रय करने के बाद उक्त भूमि में उपज को रखने व रहवास के लिए मकान भी बनाया है जिसमें वर्तमान में जबाबदार की सहमति से उसका साझी राजाराम पुत्र अर्जुन रह रहा है जो कि वादग्रस्त भूमि को बट पर काश्त करता है। सायलान ने जानबूझकर उक्त मकान का जिक्र अपने दावे में नहीं किया है। इस कारण सायलान का भूमि पर कब्जा नहीं है। सायलान ने विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को शून्य घोषित करवाने हेतु एक टी.आई. उनवानी मानसिंह बनाम किशन सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी में पूर्व में प्रस्तुत की है इस कारण वर्तमान प्रकरण




 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी (स०मा०)

धारा 10 सी.पी.सी. से बाधित होने के कारण निस्तरनीय है। सायल मानसिंह ने जबाबदार के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. थाना गंगापुर सिटी में वादपत्र के कथित कथनों के आधार पर दर्ज करवाई जिसे पुलिस ने वाद अनुसंधान झूठा मानकर एफ.आर. प्रस्तुत की है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण एवं जबाबदार से रूपया ऐठनें के लिए सायलान ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि जबाबदार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के कारण माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने ग्राम पंचायत चूली की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 5.7.2000, शपथ पत्र मुन्नी बैरवा गंगापुर सिटी, टीकाराम बैरवा गंगापुर सिटी, संतरा बैरवा गंगापुर सिटी, सुलचंद बैरवा गंगापुर सिटी, पूरण बैरवा गंगापुर सिटी, भँवर अरुण बैरवा गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत् 2026 से 2029, 2050 से 2053, फोटोकॉपी नकल रजिस्टर चकबंदी, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 73 पेश किये हैं।

जबाब के समर्थन में गैरसायल संख्या 1 की ओर से शपथ पत्र समस्वरूप बैरवा निवासी चूली की बगीची, भूरसिंह निवासी बैरवा चूली की बगीची, पप्पू गुर्जर निवासी चूली, सुरजन गुर्जर निवासी चूली, भगवान सहाय मैना निवासी चूली, लक्ष्मण निवासी चूली की बगीची, श्रीलाल जाटव निवासी चूली की बगीची, प्रकाश जाटव निवासी चूली की बगीची, रामखिलाडी गुर्जर निवासी चूली, रामप्रसाद गुर्जर निवासी चूली, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000, फोटोकॉपी नकल नामान्तरण संख्या 446 दिनांक 5.7.2000, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 73, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी इस्तगासा अन्तर्गत धारा 190 सी.आर.पी.सी., फोटोकॉपी नकल एफ.आई.आर. संख्या 526 दिनांक 8.7.15, नकल एफ.आर. दिनांक 30.7.15, नकल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मानसिंह वगैरा बनाम किशन वगैरा न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी मय आर्डरशीट दिनांक 5.1.16, प्रस्तुत किये हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि का पुराना ख0न0 481 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा रहा है। जो कंचन की खातेदारी में दर्ज था। इससे पहले यह भूमि




उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सायलान के पूर्वजो के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार यह भूमि पैतृक है, जिसमे सायलान का हिस्सा बनता है। इस भूमि का नवीन ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 बना है। इस भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर सायलान का चला आ रहा है। आज भी मौके पर सायलान का ही भूमि पर कब्जा है। ग्राम पंचायत चूली की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 5.7.2000 मे भी गैरसायल के नाम नानान्तकरण खोलने का कोई अंकन नही है। गैरसायल ने कंचन से गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई है जिसे निरस्त करने के लिए सायलान ने सक्षम न्यायालय मे दावा किया हुआ है। अब गैरसायल भूमि के कब्जे काश्त मे सायलान को बाधा उत्पन्न करता है इसलिए गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावें।

गैरसायल के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल के पक्ष मे है। गैरसायल भूमि का सद्भाविक क्रेता है। वर्ष 2000 मे गैरसायल ने सायलान के पिता कंचन से वादग्रस्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है एवं तभी से भूमि पर गैरसायल का कब्जा है। सायलान ने भूमि खरीद के 14 वर्ष यह दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। रजिस्ट्री यदि फर्जी है तो सायलान को सिविल कोर्ट मे कार्यवाही करनी चाहिए। सायलान ने गैरसायल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है जिसमे पुलिस ने जाँच के पश्चात एफआर प्रस्तुत की है। बदनीयती से सायलान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2026-29, संवत 2050-53, रजिस्टर चक बंदी के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि सायलान के पूर्वज पाँच्या पुत्र हण्डू की खातेदारी मे दर्ज रही है जो विरासत मे सायलान के पिता कंचन पुत्र पाच्या की खातेदारी मे आई है। इस प्रकार यह भूमि सायलान की पैतृक भूमि है। सायलान के पिता कंचन ने यह भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को गैरसायल संख्या 1 को बेचान की है। यह बेचान पत्र सायलान के विरुद्ध कहीं तक निष्प्रभावी है, इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे पक्षकारो की ओर से प्रस्तुत विस्तृत साक्ष्य व सबूतो के आधार पर होना है। जहाँ तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो दोनो ही पक्षो ने इस सम्बन्ध मे विभिन्न व्यक्तियो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे कोई कब्जे की स्थिति स्पष्ट नही होती है। भूमि की विवादित स्थिति को देखते हुए एवं भूमि पैतृक होने के कारण हमारी राय मे वादग्रस्त भूमि की मौका एवं



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मानसिंह वगैरा बनाम किशन वगैरा, टी.आई.

(7)

रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए दोनो पक्षकारों को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम चूली तह0 गंगापुर सिटी की उभयपक्षकारान मूल वाद के निर्णय होने तक मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

